न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3425–I/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.09.2014 पारित द्वारा तहसीलदार पोरसा, जिला मुरैना प्र0क्र0 72/12–13 X बी/121

मुन्नी देवी पत्नी श्री दशरथ सिंह जाति ठाकुर
निवासी ग्राम बुधारा तहसील पोरसा
जिला मुरैना, हाल निवासी–शिवाजी नगर,
आमखो, लश्कर, ग्वालियर ..... आवेदिका

विरूद्ध

रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह तोमर
जाति ठाकुर, निवासी ग्राम बुधारा
तहसील पोरसा, जिला मुरैना ..... अनावेदक

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक – आवेदिका।
श्री एस0के0 वाजपेई, अभिभाषक – अनावेदक

आदेश

(दिनांक 18 जनवरी 2016)

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे अत्रपश्चात् संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार पोरसा जिना मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 72 12–13 x बी–121 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बुधारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 863/1516 रकबा 0.42 हैक्ट्यर के भूमिस्वामी मोहरसिंह कुशवाह द्वारा दिनांक 27–6–2005 को अधीक्षक भू अभिलेख से उपर्युक्त भूमि का सीमांकन कराया गया। तत्पश्चात् आवेदिका मुन्नी देवी द्वारा उपर्युक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 19.10.2005 को क्रय की गई व नामान्तरण

R. 3425.8/14

कराये जाने के उपरान्त कब्जा प्राप्त किया गया। अनावेदक द्वारा तहसीलदार पोरसा के समक्ष म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाते हुए आवेदन किया गया कि आवेदक (रामचन्द्र सिंह) के स्वामित्व की भूमि को अनावेदिका (मुन्नी देवी) के अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए इस आवेदन पर तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 72/2013–14/X/बी–121 में आवेदिका मुन्नीदेवी को पक्षकार बनाए बिना, उसे सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना दिनांक 31.08.2013 को आवेदिका मुन्नीदेवी को मौके से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश की जानकारी होने पर आवेदिका मुन्नीदेवी द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 72/2013–14/X/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 31.08.13 को निरस्त किये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अधीन आवेदन किया गया जो आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि धारा 32 का आवेदन तथ्यात्मक नहीं है। यदि पूर्व के आदेश दिनांक 31.08.13 में कोई त्रुटि है तो उसके विरूद्ध अनावेदिका मुन्नीदेवी (वर्तमान निगरानी में आवेदिका) अपील कर सकती है इस आदेश विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए एवं मौखिक तर्क भी किए गए।

(4) आवेदिका के अभिभाषक द्वारा अपने लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि तहसीलदार द्वारा उनके आदेश दिनांक 31.08.13 में दिनांक 29.06.2005 को सीमांकन न होना मानने का निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। यह भी तर्क किया गया कि सर्वे क्रमांक 863/1516 का सीमांकन पूर्व भूमि स्वामी मोहर सिंह कुशवाह द्वारा दिनांक 27.06.2005 को कराया गया था। यह भी तर्क किया गया कि तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 31.08.2013 द्वारा निकाला गया निषकर्ष कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2004 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था, उसके होते हुए भी सीमांकन किया गया है, जो शून्य है। यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि

R. 3425.14

कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में सर्वे क्रमांक 863/1516 सम्मिलित ही नहीं था अर्थात् इस सर्वे क्रमांक के विषय में कोई स्थगन आदेश नहीं था। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका (हितबद्ध व्यक्ति) को पक्षकार बनाए बिना उसे सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश दिनांक 31.08.13 पारित किया गया है जो विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अधिकारिता रहित है, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में संहिता की धारा 32 का गलत उल्लेख कर देने मात्र से आवेदन खारिज नहीं किया जाना था, अपितु पूर्व आदेश दिनांक 31.08.13 में उपर्युक्त उपबंध के अधीन पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए था। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 31.08.13 संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत नियमों के नियम 7 एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता।

यह भी तर्क किया गया कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश में संहिता की किसी धारा का उल्लेख नहीं है तथापि यह आदेश संहिता की धारा 250 की व्याप्ति में आता है, किन्तु धारा 250 के अधीन भी आवेदिका के विरूद्ध कोई बेदखली आदेश पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि आवेदिका का अप्राधिकृत कब्जा नहीं था, अपितु भूमि का रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर नामांतरण कराये जाने के उपरांत कब्जा प्राप्त किया गया था, जो अप्राधिकृत नहीं है।

(5) अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि सर्वे क्रमांक 863/1516 का दिनांक 27.06.05 का सीमांकन किए जाने के विषय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था जिस पर लोक सूचना अधिकारी मुरैना द्वारा दिनांक 03.08.09 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 27.06.05 को सीमांकन किए जाने का कोई अभिलेख नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा सीमांकन

R-3425-3/14

के आधार पर अनावेदक की भूमि में से 0.42 हैक्ट्यर भूमि पर अवैध आधिपत्य कर लिया गया था, उस कारण अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन किया गया था, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 31.08.13 के आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार किया। यह भी कहा गया कि कलेक्टर मुरैना ने दिनांक 07.07.04 द्वारा सीमांकन के विषय में स्थगन आदेश जारी किया गया था उस कारण सीमांकन किया ही नहीं जा सकता था। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक साल बाद संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो तथ्यात्मक न होने से खारिज किया गया था। यह भी तर्क किया गया कि यदि आवेदिका के आवेदन को पुनर्विलोकन का आवेदन माना भी जाए तब भी वह समयावधि में होना नहीं माना जा सकता। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा सीमांकन की जो प्रतियां इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं, वह सीमांकन कभी हुआ ही नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदिका द्वारा जिस भूमि का क्रय करना बताया गया है वह पट्टे की भूमि थी एवं बिना अनुमति के विक्रय नहीं की जा सकती थी।

(6) प्रतिउत्तर में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया कि 27.06.05 को सीमांकन न किए जाने के विषय में तहसील न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है वह निष्कर्ष बेबुनियाद है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत सीमांकन दिनांक 27.06.05 की प्रमाणित प्रतिलिपियों से सिद्ध है कि दिनांक 27.06.05 को सीमांकन किया गया था। अनावेदक द्वारा सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के आधार पर किए गए तर्क के प्रतिउत्तर में आवेदिका के अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला मुरैना द्वारा अनावेदक को पत्र दिनांक 03.08.09 द्वारा दी गई सूचना के पैरा–2 में यह सूचित किया गया है कि रामचन्द्र सिंह तोमर निवासी ग्राम बुधारा तहसील पोरसा के सर्वे क्र0 863/1516 का सीमांकन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया

R-3425.1/14

गया है। चूंकि रामचन्द्र सिंह इस सर्वे क्रमांक का भूमि स्वामी ही नहीं था इसी कारण यह जानकारी दी गई है। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वे क्र0 863/1516 का सीमांकन हुआ ही नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि इस सर्वे क्रमांक का भूमिस्वामी मोहर सिंह कुशवाह था और उसी के द्वारा सीमांकन कराया गया था जो सीमांकन के विषय में प्रमाणित प्रतिलिपियों से साबित है। यह भी तर्क किया गया कि भूमि पट्टे की न होकर विक्रेता भूमि स्वामी के स्वत्व की भूमि है जिसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर नामांतरण कराए जाने के उपरांत कब्जा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क किया गया कि विवादित प्रश्न यह नहीं है कि भूमि पट्टे की है या भूमि स्वामी स्वत्व की। विवादित प्रश्न यह है कि क्या आवेदिका का कब्जा अप्राधिकृत है एवं आवेदिका (जो राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित भूमि स्वामी है) को बिना उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके पीठ पीछे पारित आदेश दिनांक 31.08.13 द्वारा उसे उसके भूमि स्वामी स्वत्व से बेदखल किया जा सकता था?

(7) आवेदक अभिभाषक द्वारा सीमांकन प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर प्रकरण की पुनः सुनवाई का आवेदन किया गया, जिसकी प्रतियां अनावेदक के अभिभाषक को प्रदाय की गई। प्रकरण में दिनांक 17.12.15 को उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गए।

(8)(i) मेरे द्वारा उभय पक्ष द्वारा लिखित तर्क एवं मौखिक रूप से किए गए तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से आवेदिका का यह तर्क स्वीकार योग्य पाया जाता है कि आवेदिका को पक्षकार बनाए बिना, उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना तहसीलदार पोरसा द्वारा उसे बेदखल करने का दिनांक 31.08.2013 को जो आदेश पारित किया गया है वह संहिता की धारा 41 के नियम 7 के प्रावधानों के विरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदिका का कब्जा अप्राधिकृत

R. 3425. 1/14

नहीं है, अपितु उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा भूमि क्रय कर नामांतरण कराए जाने उपरांत कब्जा प्राप्त किया गया है। इस कारण संहिता की धारा 250 के उपबंध भी आकर्षित नहीं होते। इस कारण भी तहसीलदार पोरसा का आदेश दिनांक 31.08.2013 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

आवेदिका के अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टांत 1990 रा0नि0 162, 1994 रा0नि0 280 प्रस्तुत किए गए, जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकारों को सूचना दिए बिना उनके विरूद्ध अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आवेदिका के अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टांत 439 का भी उद्धरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नैसर्गिक न्याय का नियम सदैव लागू है।

"(5) नैसर्गिक न्याय – नियम – सदैव लागू है – यह विवक्षित आज्ञापक अपेक्षा है – जिसके अनुपालन में शक्ति प्रयोग अविधिमान्य हो जाता है।"

(8)(ii) आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संहिता की धारा 32 का गलत उपबंध किए जाने के विषय में उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार कर यह पाया जाता है कि यदि आवेदन में विधि के गलत उपबंध का उल्लेख भी कर दिया गया हो, तब भी इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि समुचित उपबंध के अधीन सहायता प्रदान की जानी चाहिए। तहसीलदार पोरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.13 आवेदिका को बिना नोटिस दिए, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके पीठ पीछे पारित किया गया है, इस कारण ऐसे अवैध आदेश को तहसीलदार द्वारा ही अपास्त किया जाना चाहिए था।

(8)(iii) सर्वे क्रमांक 863/1516 के सीमांकन के विषय में उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार कर एवं अभिलेख के अवलोकन पश्चात्, उपलब्ध सीमांकन की प्रतियां एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 03.08.09 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि दिनांक 27.06.05

प्रक० 3425/I/14

को सीमांकन किया गया था। अनावेदक को सूचना के अधिकार के पत्र दिनांक 03.08.09 द्वारा जो सूचना दी गई है, उसके अंतिम पैरा से स्पष्ट है कि रामचन्द्र सिंह नि0 ग्राम बुधारा के उक्त सर्वे क्र0 863/1516 का सीमांकन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। इस पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसी सूचना अनावेदक को इस कारण दी गई है क्योंकि सर्वे क्रमांक 863/1516 का रामचन्द्र सिंह भूमिस्वामी ही नहीं था और न ही उसके द्वारा सीमांकन कराया गया था बल्कि उपर्युक्त भूमि का भूमि स्वामी मोहर सिंह कुशवाह था और उसी ने भूमि का सीमांकन कराया था, जो सीमांकन की प्रस्तुत छायाप्रति से सिद्ध है। इस कारण इस पत्र के आधार पर तहसीलदार पोरसा द्वारा आदेश दिनांक 31.08.13 में यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि उपर्युक्त सर्वे नं. 863/1516 का सीमांकन नहीं किया गया है।

(8)(iv)इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 07.07.04 द्वारा स्थगन होते हुए भी सीमांकन किया गया है। यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है। कलेक्टर के उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह स्थगन आदेश अन्य सर्वे क्रमांकों के विषय में था सर्वे क्रमांक 863/1516 उसमें सम्मिलित ही नहीं था।

(9) उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, पोरसा द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/2013–14/X/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2013 एवं आदेश दिनांक 30.09.2014 अवैध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार, पोरसा जिला मुरैना द्वारा प्र0क्र0 72/2013–14/X/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2013 एवं आदेश दिनांक 30.09.2014 अपास्त किए जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर